न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 28 / 2009

1 चिरंजीलाल पुत्र गंगासहाय जाति जाट निवासी ढ़ाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती द्रोपदी बेवा रमेश प्रकाश उर्फ रमेशचन्द्र।
2 मनोज पुत्र रमेश प्रकाश उर्फ रमेशचन्द्र।
3 संजय पुत्र रमेश प्रकाश उर्फ रमेशचन्द्र।
4 राजेश पुत्र रमेश प्रकाश उर्फ रमेशचन्द्र समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ढ़ाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
5 तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
6 जयप्रकाश पुत्र मंगला।
7 मंगला पुत्र रामनाथ समस्त जाति जाट निवासीगण रोशनपुरा गुड़गांव जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
8 सुरजाराम पुत्र कालूराम जाति जांगिड़ निवासी ढ़ाणी हुक्मा तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बउनवानी मुकदमा श्रीमती द्रोपती बनाम राजस्थान राज्य दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती नक्शा ट्रेस मुकदमा नम्बर 59 / 2006 बखिलाफ निर्णय व डिकी दिनांक 24.09.2008

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनू)

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुशील जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 12.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2006 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम हुक्मा की ढ़ाणी तहसील बुहाना की भूमि खसरा नम्बर 283 हाल खसरा नम्बर 467,529 के मध्य सहवन से अंकित रास्ता हटाकर उतर पूर्व की सीमा पर अंकित करने का वाद प्रस्तुत किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित करवाया गया है। अपीलांट पक्षकार नही था अत उसे निर्णय की जानकारी नही हुई है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर नही मिला है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में हमने अपीलांट के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा है अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। अपील मियाद बाहर है विचारण न्यायालय में अपीलांट का आदेश 1 नियम 10 का आवेदन खारिज हो चुका है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्व नक्शा दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया था। इस वाद में अपीलांट के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है। विचारण न्यायालय में मनोहर पुत्र थानाराम द्वारा आदेश 1 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो खारिज किया गया है। इसकी कोई रिविजन भी नही की गई है। पत्रावली में तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का माकड़ी की मौका फर्द एवं राजस्व रिकार्ड की सत्यप्रतियां संलग्न है विचारण न्यायालय ने इन सबका विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इस निर्णय से अपीलांट किस प्रकार व्यथित है यह स्पष्ट करने में सफल नही रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

अपीलांट उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रभावित पक्षकार साबित नही है अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 एवं धारा 96 खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर